



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2527]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 18, 2010/अग्रहायण 27, 1932

No. 2527]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 18, 2010/AGRAHAYANA 27, 1932

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2010

का.आ. 2976(अ).—केंद्रीय सरकार, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 3 की उप-धारा (1) और धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि मंत्रालय, भारत सरकार (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) के दिनांक 18 मार्च, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 616(अ) को अधिक्रान्त करते हुए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित का प्रतिषेध करती है :—

1. (i) अधिसूचित योग्य एवियन इंप्लूएंजा (उच्च रोगजनक एवियन इंप्लूएंजा और निम्न रोगजनक अधिसूचित योग्य एवियन इंप्लूएंजा) को ध्यान में रखते हुए सभी देशों से भारत में पिंजरे में पाले और प्रजनित पक्षियों के अलावा वन्य पक्षी;

(ii) अधिसूचित योग्य एवियन इंप्लूएंजा (उच्च रोगजनक अधिसूचित योग्य एवियन इंप्लूएंजा और निम्न रोगजनक अधिसूचित योग्य एवियन इंप्लूएंजा दोनों) रिपोर्ट करने वाले देशों से भारत में निम्नलिखित पशुधन और पशुधन उत्पादों के आयात; अर्थात् :—

- (क) धरेलू और वन्य पक्षी (कुक्कुट सहित);
- (ख) एक दिन के चूजे, बत्तख, टर्की और अन्य नवजात चूजे एवियन प्रजातियां;
- (ग) एवियन प्रजातियां जिसके अंतर्गत जंगली पक्षी हैं से अप्रसंस्कृत मांस और मांस उत्पाद;

(घ) हेंचिंग अंडे;

(ङ) अंडा तथा अंडा उत्पाद (विनिर्दिष्ट रोगजनक मुक्त अंडों के सिवाय);

(च) अप्रसंस्कृत पंख;

(छ) जीवित सुअर;

(ज) विकृतिजन्य सामग्री और पक्षियों से जैविकीय उत्पाद;

(झ) पशु खाद्य उपयोग के लिए या कृषि या औद्योगिक उपयोग के लिए आयातित पशु मूल (पक्षियों से) का उत्पाद;

(ञ) कुक्कुट के वीर्य सहित धरेलू और जंगली पक्षियों का वीर्य।

2. मद (1) में विनिर्दिष्ट निषिद्धता इनके आयातों पर लागू नहीं होगी—

(क) आशयित एवियन प्रजातियों से बने मीट व मीट उत्पादों के घटकों वाले प्रसंस्कृत पालतु पशु खाद्य।

(ख) रोग निदान और अनुसंधान प्रयोजनों के लिए पैथोलोजिकल सामग्रियों और जैविकीय उत्पादों के आयात।

3. केन्द्र सरकार निर्यातक देश के संतोषजनक अनुरूपता आंकलन के अधीन प्रसंस्कृत कुक्कुट के आयात की अनुमति दे सकता है।

4. यह प्रतिषेध उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि तक या इसके उपांतरित या प्रत्याहृत किए जाने तक, जो पूर्वतर हो, प्रवृत्त रहेगा।

[फा. सं. 109-21/2007-ट्रेड]

राजबीर सिंह राणा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2010

S.O. 2976(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 and Section 3A of the Livestock Importation Act, 1898 (9 of 1898), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries) number S.O. 616(E), dated 18th March, 2010, the Central Government hereby prohibits, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, —

- (1) (i) The import into India from all the countries, in view of Notifiable Avian Influenza (both Highly Pathogenic Avian Influenza and Low Pathogenic Notifiable Avian Influenza) of wild birds except those reared and bred in captivity;
- (ii) the import into India from the countries reporting Notifiable Avian Influenza (both Highly Pathogenic Notifiable Avian Influenza and Low Pathogenic Notifiable Avian Influenza), the following livestock and livestock products, namely :—
- domestic and wild birds (including poultry);
 - day-old chicks, ducks, turkeys and other newly hatched Avian species;
 - un-processed meat and meat products from Avian species, including wild birds;

- hatching eggs;
- eggs and egg products (except Specific Pathogen Free eggs);
- un-processed feathers;
- live pigs;
- pathological material and biological products from birds;
- products of animal origin (from birds) intended for use in animal feeding or for agricultural or industrial use;
- semen of domestic and wild birds including poultry.

(2) The prohibition specified in paragraph (1) shall not be applicable to the import of,—

- processed pet food containing ingredients of meat and meat products from avian species animal origin.
- the import of pathological materials and biological products for diagnostic and research purposes.

(3) The Central Government may allow the import of processed poultry subject to the satisfactory conformity assessment of the exporting country.

(4) The prohibition shall be in force for a period of six months from the date of publication of this notification or till the said notification is modified or withdrawn, whichever is earlier.

[F. No. 109-21/2007-Trade]

RAJBIR SINGH RANA, Jt. Secy.